श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 23 अप्रैल, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/207-85/13696.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इन्डोपोल फूड प्रोसेसिंग मशीनरी प्रा०लि०, सैक्टर-27 सी, फरीदाबाद, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या संस्था के सभी श्रमिक प्रत्येक वर्ष सर्दी एवं गर्मी के दो जोड़े वर्दी वूलन और टैरीकोट के लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?
2. क्या संस्था के सभी श्रमिक साल में दो जोड़ा अच्छी क्वालिटी के जूते लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?
3. क्या संस्था के सभी श्रमिक वर्ष 1984-85 का बोनस 20 प्रतिशत के हिसाब से लेने के हकदार हैं ? यदि हां तो किस विवरण से ?
4. क्या संस्था के श्रमिक निम्नलिखित प्रकार भत्ता लेने के हकदार है :—
   क. धुलाई भत्ता 60 रुपये प्रति मास
   ख. रात्रि भत्ता 10 रुपये प्रति रात्रि
   ग. कन्वेंस भत्ता 100 रुपये प्रति मास
   घ. चाय भत्ता 50 रुपये प्रति मास ? यदि हां तो किस विवरण से ?
5. क्या संस्था में सभी श्रमिकों को प्रति मास 5 किलोग्राम गुड़ मिलना चाहिए ? यदि हां तो किस विवरण से ?

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 अप्रैल, 1986

सं० ओ० वि०/गुड़गांवा/3-86/13310.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़; 2. जरनल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज रिवाड़ी, के श्रमिक श्री मोहर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री मोहर सिंह, पुत्र श्री सिरी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?